अधिकारों की ओर:

गर्भसमापन अधिकारों के लिए एक कार्य एजेंडा

the yp foundation
feminist · intersectional · rights-based

अधिकारों की ओर:
गर्भसमापन अधिकारों के लिए एक कार्य एजेंडा

the yp foundation
feminist · intersectional · rights-based

SAAF

IYAFP

श्रेय

द वाईपी फाउंडेशन हमारे साथ कई वर्षों से जुड़े उन सभी युवा अधिवक्ताओं के योगदान को श्रेय देता है जिन्होंने अपना अमूल्य दृष्टिकोण और अंतर्दृष्टि हमारे साथ साझा की।

अवधारणा: सुनन्या देका और योषिता श्रीवास्तव
अनुसंधान और लेखन: रागिनी बोरदोलोई
संपादन: दीपशिखा घोष और प्रभलीन तुटेजा
रचना: शिखा श्रीनिवास
रेखांकन: शिखा श्रीनिवास
अनुवादक: काकू लाहोन - असमिया अनुवाद
काव्या इकोफेमिनिस्ट - मलयालम अनुवाद
नेहा कुमारी - हिन्दी अनुवाद
तन्विका गुलयानी - हिन्दी अनुवाद

अक्टूबर 2023 में प्रकाशित

द वाईपी फाउंडेशन के बारे में

द वाईपी फाउंडेशन (टीवाईपीएफ) एक युवा-नेतृत्व का और युवा-केंद्रित संगठन है जो स्वास्थ्य समानता, जेन्डर-न्याय, यौनिकता से जुड़े अधिकार, और सामाजिक न्याय के मुद्दों पर युवाओं का नारीवादी और अधिकार-आधारित नेतृत्व को विकसित करता है। टीवाईपीएफ का 'सेफ अबॉर्शन फॉर एव्रीवन' (सभी के लिए सुरक्षित गर्भसमापन) (एसऐएफई) कार्यक्रम असम और केरल के युवाओं के साथ अधिकार-आधारित ढांचे का उपयोग करके सुरक्षित गर्भसमापन के मुद्दों पर साक्ष्य-आधारित कार्रवाई करने के लिए और सरकारी हितधारकों के साथ नीति-स्तर पे हस्तक्षेप कर गर्भसमापन की सेवाओं में सुधार लाने के लिए काम करता है।

Contact Info

/ theypfoundation

Copyright Statement

This publication is produced and created by The YP Foundation and is available for educational and developmental purposes. Any re-use or adaptation should inform and acknowledge the original publication with due credits.

स्वीकृतियां

यह मार्गदर्शिका 2023 में **वाईपी फाउंडेशन** (टीवाईपीएफ) द्वारा प्रकाशित की गई थी। यह **केरल और असम के युवा अधिवक्ताओं** के अनुभव और नेतृत्व के बिना संभव नहीं होता, जिन्होंने गर्भसमापन पहुंच से जुड़े कलंक को समाप्त करने के लिए अथक प्रयास किया है, हमारे गुरु और सलाहकार जिन्होंने गर्भसमापन अधिकार के संदर्भ पर हमारी समझ बनाने में हमारा सागयोग किया, और वाईपीफाउंडेशन में हमारे सहयोगी, जिन्होंने यह सुनिश्चित करने के लिए पर्दे के पीछे काम किया कि भारत में युवाओं के सुरक्षित गर्भसमापन के अधिकार पर कथा निर्माण करने के लिए इस तरह का एक दस्तावेज मौजूद हो। हम यहाँ **रागिनी बोरदोलोई** का विशेष रूप से जिक्र करना चाहते हैं इस दस्तावेज़ को डिजाइन करने, प्रासंगिक बनाने और विषयगत विशेषज्ञता जोड़ने के लिए किए गए प्रयासों, समय और योगदान के लिए। यह उनके समर्थन और प्रयासों के बिना संभव नहीं होता। वाईपी फाउंडेशन कृतज्ञतापूर्वक **इंटरनेशनल यूथ अलाइअन्स फॉर फैमिली प्लैनिंग (आईवायऐएफपी)** के इस गाइड को विकसित करने और प्रसारित करने में समर्थन को स्वीकार करता है। साथ ही **सेफ अबॉर्शन एक्शन फंड (एसएएएफ)** को हमारे काम में भरोसा रखने के लिए कृतज्ञतापूर्वक समर्थन का स्वीकार।

विषयसूची

0 गाइड के बारे में 04

- यह मार्गदर्शिका क्यों विकसित की गई?
- इस गाइड का उपयोग कैसे करें

1 गर्भसमापन के अधिकार की मूल बातें ... 06

- गर्भसमापन का अधिकार एक मानव अधिकार है
- सार्वजनिक स्वास्थ्य में गर्भसमापन की प्रासंगिकता
- युवाओं के लिए गर्भसमापन की सुविधा

2 आइए शुरू करें! 10

- भारत में सुरक्षित और कानूनी गर्भसमापन सेवाओं तक कैसे पहुंचें

3 कलंक और गलत सूचना का मुकाबला करना 14

- भारत में गर्भसमापन के कलंक और गलत सूचना के स्रोत
- गर्भसमापन के बारे में आम मिथकों और गलत धारणाओं पर प्रतिक्रिया देना
- गर्भसमापन के बारे में जनता की राय बनाने में मीडिया की भूमिका को समझना
- प्रभावी मीडिया सहभागिता के लिए रणनीतियाँ
- गर्भसमापन पर अधिकार-आधारित संदेश के लिए मार्गदर्शिका

4 गर्भसमापन अधिकारों पर नीति निर्धारण के लिए रणनीतियाँ और उपकरण 24
- अभिनेताओं, प्रभावित करने वालों और निर्णय लेने वालों की पहचान करना
- आइए बात करते रहें: हितधारक संचार चैनल विकसित करना

5 लोगों की शक्ति का निर्माण 36
- ज़मीन स्तर पर सत्ता का निर्माण
- गठबंधन में भाग लेना
- डिजिटल रूप से सत्ता का निर्माण

6 संसाधन 41
- गर्भसमापन समर्थकों के लिए स्व-देखभाल युक्तियाँ
- सुरक्षित गर्भसमापन पहुंच पर काम करने वाले नेटवर्क और संगठन
- वाईपी फाउंडेशन द्वारा कुछ पहल
- अनुपूरक पठन सामग्री

गाइड के बारे में

यदि आप इस गाइड को पढ़ रहे हैं, तो हमारा मानना है कि आप एक युवा नेता हैं जो सुरक्षित गर्भसमापन तक सभी किशोरों और युवाओं के अधिकारों को कायम रखने के आंदोलन में शामिल होने के लिए तैयार हैं। हम आपका विश्वास साझा करते हैं और इसलिए इस सामूहिक आंदोलन को मज़बूत करने के लिए इस मार्गदर्शिका के रूप में हमने अपने अनुभवों को एक साथ रखा है। हम आशा करते हैं कि आपको यह उपयोगी लगे और आप इस संसाधन को ऐसे किसी भी व्यक्ति के साथ साझा करेंगे जिनके लिए यह प्रासंगिक हो जैसे-जैसे वे ज़मीनी स्तर पर अपनी कार्रवाई की योजना बना रहे हों। हमने गर्भसमापन और संबंधित विषयों पे मूल जानकारी, और साथ ही गर्भसमापन से जुड़े संदेशों की समीक्षा करने और उन्हें बेहतर बनाने के लिए चेकलिस्ट शामिल कीया है। इस गाइड का उपयोग नई सामग्रियों के विकास को सूचित करने के लिए भी किया जा सकता है, जिसमें नारीवादी और अधिकार आधारित परिप्रेक्ष्य से गर्भसमापन संदेश शामिल है।

यह मार्गदर्शिका क्यों विकसित की गई?

मानकीय और संरचनात्मक परिवर्तन हमेशा कहीं से शुरू होते हैं। गर्भसमापन के अधिकार के लिए, सही संदेश से शुरुआत करना और विकल्प-आधारित भाषा का उपयोग करना पहला कदम है। युवा अधिवक्ताओं होने के नाते हमने देखा है कि कानूनी, तकनीकी और भाषाई बाधाओं के कारण गर्भसमापन से जुड़ा संचार बहुत कठिन, जटिल और अक्सर दुर्गम है। गर्भसमापन अधिकारों पर काम करने वाले संगठनों को अधिकार आधारित संदेश को मुख्यधारा में लाने के लिए अपने संघर्षों के बारे में सोचना होगा; और यहां तक कि हममें से जिन लोगों के पास संरचनात्मक परिवर्तनों के लिए अधिकार-आधारित बातचीत को आगे बढ़ाने का व्यापक अनुभव है, वे भी कभी-कभी गर्भसमापन से जुड़ी बातचीत को अधिकार-आधारित, पुष्टिकारक, और अन्तरनुभागीय तरीके से बनाए रखने में संघर्ष करते हैं।

इस गाइड का उपयोग कैसे करें?

जैसा आप उचित समझे। इस गाइड में 6 अध्याय हैं। आप यहां दी गई जानकारी का उपयोग मुद्रित सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) सामग्री जैसे पत्रक, पोस्टर और सूचना पत्रक के माध्यम से गर्भसमापन संदेश को आगे बढ़ाने के लिए अभियानों और कार्रवाई को डिजाइन करने, प्रसारित करने और भाग लेने के लिए कर सकते हैं। आप प्रेस विज्ञप्तियों को विषयगत रूप से विकसित करने के लिए, साथियों और समूहों के साथ संवाद आयोजित करने के लिए, सोशल मीडिया सहभागिता के लिए, सेवा प्रदाताओं से समर्थन और सहयोग उत्पन्न करने के लिए और विभिन्न हितधारकों से जवाबदेही की मांग करने के लिए इसका उल्लेख कर सकते हैं जो गर्भसमापन से जुड़े देखभाल तक कलंक मुक्त पहुंच सुनिश्चित कर सकते हैं। यदि आप एक साथ ज़मीनी स्तर पर कार्रवाई की योजना बनाना चाहते हैं, तो कृप्या हमसे संपर्क करने में संकोच न करें। हम स्वीकार करते हैं कि हम गर्भसमापन अधिकारों पर चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए अपनाए गए संसाधनों और पद्धतियों की विशाल संभावनाओं को जोड़ने से चूक गए हैं। यह जानबूझकर नहीं है, हालाँकि, हम अपने पाठकों पर दबाव नहीं डालना चाहते और इसलिए चरण-दर-चरण कार्रवाई और सीखने की सुविधा के लिए इस मार्गदर्शिका का उपयोग करने के प्रति सचेत हैं।

अध्याय 1:
गर्भसमापन के अधिकार की मूल बातें

भारत में प्रति वर्ष होने वाले
48.5 मिलियन गर्भधारण में से
44% अनपेक्षित होती हैं।

इनमें से लगभग
16 मिलियन (77%)
अनपेक्षित गर्भधारण के
परिणामस्वरूप होता है।

भारत में हर साल **800,000 असुरक्षित गर्भसमापन होते हैं** और भारत में
10% असुरक्षित गर्भसमापन के
परिणामस्वरूप मातृ मृत्यु होती है।

गर्भसमापन का अधिकार जीवन, स्वतंत्रता, गोपनीयता, पसंद और स्वायत्तता के अधिकार का एक अभिन्न पहलू है; जैसा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत सुनिश्चित किया गया है।

भारत 1952 में नैशनल फैमिली प्लैनिंग प्रोग्राम [1] का नेतृत्व करने वाला और 1971 में गर्भसमापन पर कानून बनाने वाला दुनिया के अग्रणी देशों में से एक है, जिससे गर्भसमापन तक की पहुंच को वैध और उदार बनाया गया। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी (एमटीपी) अधिनियम में 2021 में संशोधन करके मौजूदा गर्भसमापन कानून में भी बहुत आवश्यक सुधार लाए गए, लेकिन कुछ प्रमुख बाधाओं को दूर करने में यह अभी भी असमर्थ रहा, जिसके उप्पर इस गाइड में चर्चा की जाएगी।

1 Ministry of Health and Family Welfare, Annual Report 2015-2016, Chapter 6 (Page No 81)

गर्भसमापन का अधिकार एक मानव अधिकार है

1994 में जनसंख्या और विकास पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान भारत सहित 179 सरकारें [2] इस बात पर सहमत हुईं कि गर्भावस्था और प्रसव के बारे में स्वतंत्र और सूचित निर्णय लेना एक बुनियादी मानव अधिकार है।

हालाँकि, सुरक्षित गर्भसमापन तक पहुँच को अक्सर अभी भी मानव अधिकार के रूप में नहीं देखा जाता है और इसलिए हर किसी की शारीरिक स्वायत्तता और अखंडता के अधिकार को सुनिश्चित करने का संघर्ष आज भी जारी है।

गर्भसमापन सेवाओं से इनकार करना मानवाधिकारों और मौलिक अधिकारों का उल्लंघन माना जाना चाहिए। और व्यवस्थित रूप से किसी को भी अपने प्रजनन स्वास्थ्य पर विकल्प चुनने और नियंत्रण करने से रोकना, जो बदले में समान निर्णय निर्माताओं और योगदानकर्ताओं के रूप में उनकी मान्यता को मजबूत और कमजोर करता है, को चुनौती दी जानी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार निगरानी निकायों [3] ने सरकारों से मौजूदा कानूनों के अनुसार सुरक्षित गर्भसमापन और गर्भसमापन के बाद की देखभाल सुनिश्चित करने और मानवाधिकार प्रतिबद्धताओं के साथ संभावित टकराव के कारण गर्भसमापन पर कानूनी प्रतिबंधों की समीक्षा करने का आग्रह किया है। जबकि भारत सरकार वैश्विक परिदृश्यों पर प्रतिक्रिया देने में तत्पर रही है, गर्भसमापन देखभाल तक व्यापक और बिना शर्त पहुंच की राह लंबी है।

सार्वजनिक स्वास्थ्य में गर्भसमापन की प्रासंगिकता

स्वास्थ्य के समान अधिकार और अपने खुद के शरीर से जुड़े निर्णय लेने की व्यक्तिगत स्वायत्तता को केंद्रित करने के मूल पे प्रजनन इंसाफ स्थित है।

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह व्यक्तिगत स्वायत्तता और प्रजनन अधिकारों की जेन्डर-आधारित समझ के साथ एक बहुत ही पितृसत्तात्मक स्थान के भीतर होता है। इसलिए व्यक्तियों और समुदायों के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण पर इसके महत्वपूर्ण प्रभाव को देखते हुए गर्भसमापन के अधिकार को एक सार्वजनिक स्वास्थ्य मुद्दे के रूप में देखना महत्वपूर्ण है। सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयासों को प्रजनन स्वास्थ्य सेवाओं तक सुरक्षित और न्यायसंगत पहुंच सुनिश्चित करने का प्रयास करना चाहिए, साथ ही सभी व्यक्तियों के लिए उनके सामाजिक स्थान की परवाह किए बिना समग्र स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए असमानताओं को संबोधित करना चाहिए।

2 https://www.unfpa.org/events/international-conference-population-and-development-icpd

3 https://www.unfpa.org/resources/core-international-human-rights-instruments

युवाओं के लिए गर्भसमापन की सुविधा

किशोरों और युवाओं की निर्णय लेने की क्षमता और पसंद तक पहुंच, विशेष रूप से उन लोगों की जिन्होंने अपने जीवन में अपने जेन्डर या यौन रुझान, विवाह और यौन संबंधों, यौन स्वास्थ्य और यौन गतिविधि के संबंध में गैर-मानक निर्णय लिए हैं, वे जो भी विकल्प चुनते हैं उसके लिए उन्हें कलंक का सामना करना पड़ता है। चाहे वह गर्भसमापन कराना हो या गर्भावस्था जारी रखना हो। अक्सर, उनकी उम्र और/या सामाजिक स्थिति के कारण युवाओं की गर्भावस्था के बारे में सूचित निर्णय लेने की क्षमता के बारे में मौजूदा धारणाओं के कारण उनके माता-पिता, अभिभावकों या सेवा प्रदाताओं द्वारा उनके निर्णय पर विचार नहीं किया जाता है। उनके अधिकारों की मान्यता की कमी एक ऐसा वातावरण बनाती है जिसमें उन्हें गर्भसमापन सेवाओं से इनकार कर दिया जाता है, उन तक पहुंचने पर उन्हें असहज महसूस कराया जाता है, या उन्हें असुरक्षित गर्भसमापन सेवा तक पहुंचनना पड़ता है, जहां गर्भसमापन के बाद देखभाल के लिए या तो सीमित समर्थन मिलता है या कोई समर्थन नहीं मिलता। संशोधित कानूनी प्रावधानों के बावजूद, गर्भनिरोधक और गर्भसमापन तक पहुंच सहित यौन और प्रजनन स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित कानून और नीतियां देश में युवाओं के लिए अधिक प्रतिबंधात्मक हैं। यह भी सच है कि किशोरों और युवाओं को सकारात्मक सेवाओं की आवश्यकता होती है जो सस्ती, सुलभ और उनकी आवश्यकताओं के लिए उपयुक्त हों और उन विशिष्ट बाधाओं को संबोधित करती हों जिनका उन्हें सामना करना पड़ सकता है, जिसमें गोपनीयता सुनिश्चित करना, पहुंच से जुड़े कलंक को नष्ट करना, किफायती स्वास्थ्य देखभाल, प्रक्रियात्मक देखभाल आदि शामिल हैं। दुर्भाग्य से, किशोरों के मामले में कलंक बढ़ा रहता है क्यूंकी उन्हें तब तक यौन संबंध बनाने से हतोत्साहित किया जाता है जब तक कि वे बड़े न हो जाएं और/या विवाहित न हो जाएं। गर्भसमापन और गर्भनिरोधक सेवाओं की मांग करते समय, उन्हें अतिरिक्त कलंक का सामना करना पड़ता है क्योंकि यह इंगित करता है कि वे यौन रूप से सक्रिय हैं; जो यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) अधिनियम और इसके अनिवार्य रिपोर्टिंग के खंड के संदर्भ में, पहुंच को अवैध बनाता है। विभिन्न पहचानों और सामाजिक स्थानों के युवाओं को अपनी एजेंसी और प्रजनन स्वायत्तता का प्रयोग करने के लिए सशक्त बनाना और सुरक्षित, सुलभ, किफायती प्रजनन स्वास्थ्य सेवाओं की मांग युवा नेतृत्व को मजबूत करती है और उन्हें उनकी यौन और प्रजनन स्वास्थ्य आवश्यकताओं और अधिकारों को संबोधित करने में नायक के रूप में स्थापित करती है।

अध्याय 2:
आइए शुरू करें!

2021 में भारत के संशोधित एमटीपी अधिनियम में कई प्रावधान पेश किए गए हैं, जिन्होंने सभी के लिए गर्भसमापन की सेवाओं की पहुंच और कवरेज में प्रगति को सक्षम किया है। हालाँकि, अधिकार-आधारित निर्धारण की कमी की वजह से उम्र, जेन्डर, अभिविन्यास, विकलांगता आदि सहित कुछ आधारों पर गर्भसमापन पर प्रतिबंध लगाने की अनुमति देती है, जो समानता के अधिकार (जेन्डर भेदभाव या जेन्डर रूढ़िवादिता से मुक्ति, और दुर्व्यवहार से मुक्ति) सहित कई मानवाधिकारों का उल्लंघन जारी रखती है, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार जिसमें निजता का अधिकार शामिल है। महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (CEDAW) समिति अपनी सामान्य सिफारिश संख्या 24[4] में सलाह देती है कि राज्यों को महिलाओं के लिए गर्भसमापन और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करनी चाहिए और पहुंच पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए।

2022 में बनाई गई नवीनतम WHO गर्भसमापन दिशानिर्देश अनुशंसा करती है

> **“गर्भसमापन को पूर्णतः अपराधमुक्त करना;**
> **आधार-आधारित गर्भसमापन पहुंच को हटाना;**
> **लड़कियों, महिलाओं या किसी गर्भवती व्यक्ति की मांग पर गर्भसमापन का प्रावधान;**
> **गर्भसमापन तक पहुंच में देरी न हो यह सुनिश्चित करने के लिए गर्भकालीन सीमाएं हटाना; और**
> **गर्भसमापन तक पहुंचने के लिए अनिवार्य प्रतीक्षा अवधि को हटाना।”**

भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और POCSO अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों सहित देश में गर्भसमापन की पहुंच को प्रभावित करने वाले कानूनों की समग्र समीक्षा के बिना, वर्तमान कानून केवल गर्भवती महिलाओं के लिए गर्भसमापन की पहुंच की रक्षा करता है और सभी व्यक्तियों के विविध अनुभवों को मान्यता नहीं देता है, ट्रांस*जेंडर और नॉन-बाइनरी व्यक्तियों सहित।

4 CEDAW General Recommendation No. 24: Article 12 of the Convention (Women and Health)

भारत में सुरक्षित और कानूनी गर्भसमापन सेवाओं तक कैसे पहुंचें

गर्भसमापन सेवाओं की मांग करते समय अपनी सुरक्षा, वैधता और गोपनीयता को प्राथमिकता देना हमेशा आवश्यक होता है। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी (एमटीपी) अधिनियम, 1971 की धारा 4 के अनुसार, सरकार या उस सरकार द्वारा गठित ज़िला स्तरीय समिति (डीएलसी) से आवश्यक अनुमोदन और प्रमाणीकरण के साथ किसी भी सरकारी अस्पताल और निजी सुविधा केंद्रों में गर्भसमापन सेवाएं प्रदान की जा सकती हैं। किसी अस्पताल या अन्य सुविधा केंद्र में गर्भावस्था का कोई भी समापन, जिसके लिए सरकार की पूर्व अनुमति नहीं है, अवैध माना जाता है। यह जानना महत्वपूर्ण है कि डीएलसी द्वारा अनुमोदन प्रमाणपत्र (फॉर्म बी) को **साइट पर स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया जाना चाहिए ताकि वहाँ पर आने वाले व्यक्तियों को आसानी से यह दिखाई दे सके।** [नियम 5 (7)] इससे गर्भसमापन चाहने वालों को यह पहचानने में मदद मिलेगी कि किसी विशेष सुविधा/अस्पताल में कानूनी गर्भसमापन प्रदान किया जाता है या नहीं।

एक सामान्य फॉर्म बी प्रमाणपत्र इस तरह दिखेगा:

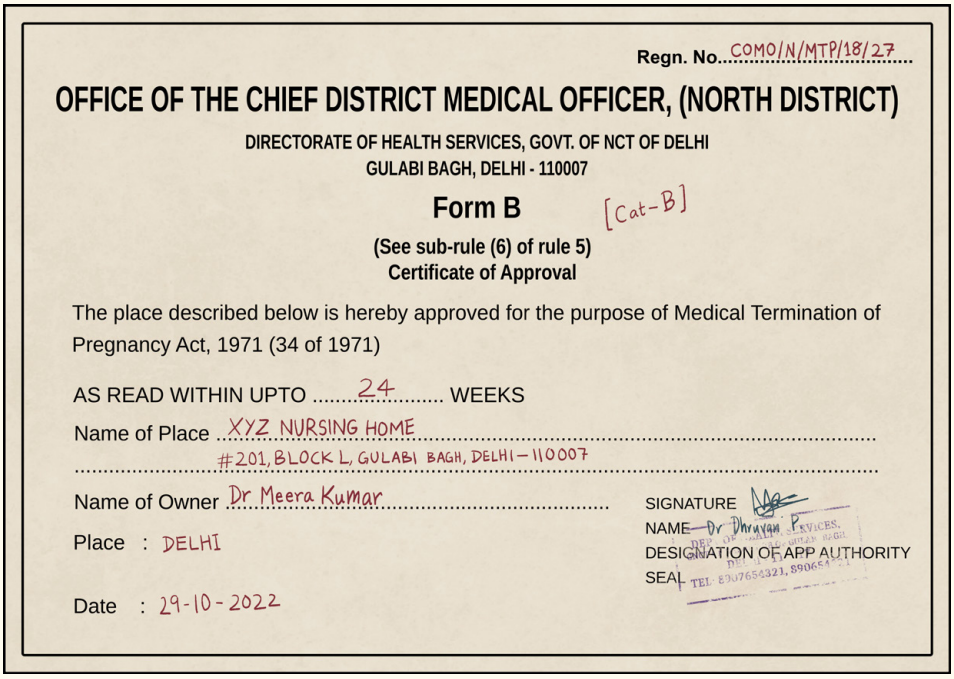

Regn. No. COMO/N/MTP/18/27

OFFICE OF THE CHIEF DISTRICT MEDICAL OFFICER, (NORTH DISTRICT)

DIRECTORATE OF HEALTH SERVICES, GOVT. OF NCT OF DELHI
GULABI BAGH, DELHI - 110007

Form B [Cat-B]

(See sub-rule (6) of rule 5)
Certificate of Approval

The place described below is hereby approved for the purpose of Medical Termination of Pregnancy Act, 1971 (34 of 1971)

AS READ WITHIN UPTO 24 WEEKS

Name of Place XYZ NURSING HOME
#201, BLOCK L, GULABI BAGH, DELHI – 110007

Name of Owner Dr Meera Kumar

Place : DELHI

Date : 29-10-2022

SIGNATURE
NAME Dr Dhruvan P.
DESIGNATION OF APP AUTHORITY
SEAL

कानून के अनुसार गर्भसमापन चाहने वाले व्यक्ति की सूचित सहमति की आवश्यकता होती है। इसका मतलब यह है कि प्रक्रिया शुरू होने से पहले स्वैच्छिक और सूचित सहमति प्रदान की जानी चाहिए।

अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारे सेफ रिसोर्स हब पर जाएँ।

इस प्रकार, गर्भसमापन तक अधिकार आधारित पहुंच को उन्नत तब किया जा सकता है जब:

1 जागरूकता सृजन प्रजनन अधिकारों पर केंद्रित है। आपको आगे के अनुभागों में अधिकारों को आगे बढ़ाने की भाषा मिलेगी। कोई ध्यान दे सकता है कि यह भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विकसित न्यायशास्त्र के आलोक में लागू है, जिसमें 29 सितंबर, 2022 को कहा गया था, "यह सुनिश्चित करने के लिए कि नियम 3 बी(बी) का लाभ 18 वर्ष से कम उम्र की सभी महिलाओं तक बढ़ाया जाए।" जो सहमति से यौन गतिविधि में संलग्न हैं...हम स्पष्ट करते हैं कि आरएमपी को, केवल नाबालिग और नाबालिग के अभिभावक के अनुरोध पर, धारा 19(1) के तहत प्रदान की गई जानकारी में नाबालिग की पहचान और अन्य व्यक्तिगत विवरण का खुलासा करने की आवश्यकता नहीं है। POCSO अधिनियम का।"

2 पोस्टर जैसी आईईसी सामग्री विकसित करना, विशेष रूप से किशोरों और युवाओं के लिए कानूनी प्रावधानों को सुलभ तरीके से समझाते हुए स्थानीय भाषाओं में पैम्फलेट और ब्रोशर। इसमें गर्भसमापन चाहने वालों के लिए गैर-निर्णयात्मक और संपूर्ण जानकारी और सेवा प्रदाताओं के कर्तव्य शामिल होने चाहिए।

3 गर्भसमापन चाहने वालों में व्यक्तियों के साथ-साथ उनके संदर्भों में विविधता को पहचानें। कई ट्रांसजेंडर व्यक्ति और लिंग गैर-द्विआधारी लोग सेवा प्रदाता पूर्वाग्रह के शिकार हुए हैं या कानूनी सीमाओं का हवाला देते हुए उन्हें सेवा पहुंच से वंचित कर दिया गया है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि कानूनी जानकारी और जागरूकता निर्माण इस गलत सूचना को तोड़ने पर ध्यान केंद्रित कर सकता है और युवाओं को स्व-प्रबंधित गर्भसमापन, टेलीमेडिसिन, उनकी पसंद के चिकित्सा गर्भसमापन और उनके अधिकार के रूप में उपयोग करने में सक्षम बना सकता है।

4 गर्भसमापन चाहने वालों के साथ-साथ गर्भसमापन सेवा प्रदाता के लिए यदि आप जानते हैं, तो आप जानते हैं अवधारणा के आवेदन को प्रोत्साहित करें। गर्भसमापन चाहने वालों के लिए, यदि आप जानते हैं कि यह आपके लिए सही निर्णय है, तो अपना सुरक्षा जाल बनाएं और अपने अधिकार का उपयोग करें। याद रखें कि अदालत आपको भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 द्वारा गारंटीकृत मौलिक मानवाधिकार के रूप में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के साथ देश के अधिकार धारक और नागरिक के रूप में मान्यता देती है। गर्भसमापन की सुविधा प्रदान करने वालों के लिए, जान लें कि आप बिना किसी निर्णय के केवल कुछ जानकारी ही मांग सकते हैं जो आपको सेवा प्रदान करने के लिए आवश्यक है। कोई भी अतिरिक्त जानकारी जो कोई मांगने का प्रयास करता है वह नैतिक या कानूनी रूप से स्वीकार्य नहीं है। कौन से संभावित प्रश्न पूछे जा सकते हैं और क्यों, इस पर फैक्टशीट तैयार करें।

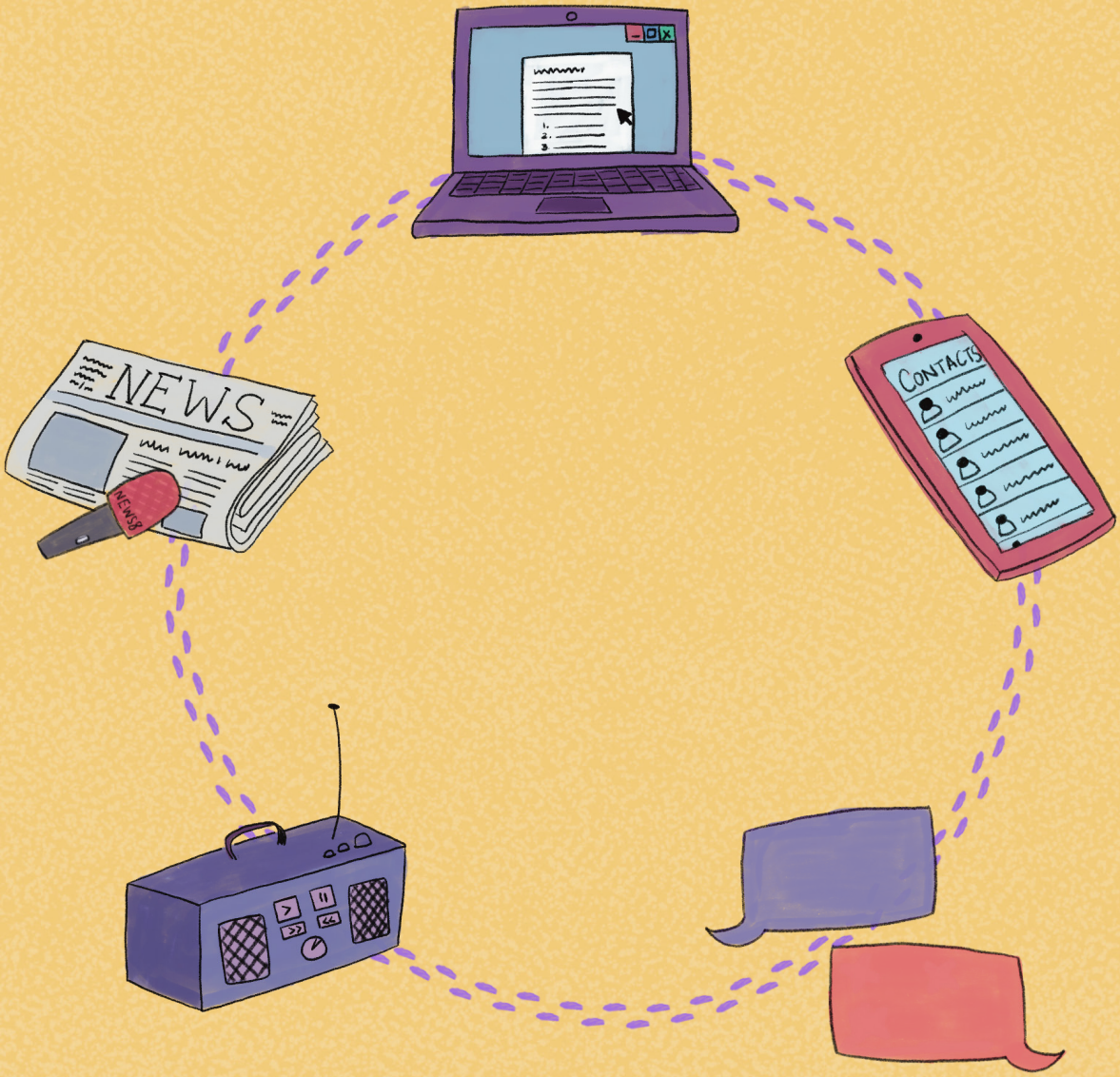

अध्याय 3:
कलंक और गलत सूचना का मुकाबला करना

भारत में गर्भसमापन के कलंक और गलत सूचना के स्रोत

गर्भसमापन से जुड़े कलंक समाज के विभिन्न स्तरों पर कई विरोधी कारकों की जटिल परस्पर क्रिया का परिणाम है। समाज में गर्भसमापन के कलंक के विभिन्न स्तर (हेसिनी, 2014; इनरोड्स, 2015) नीचे दिए गए चित्र में दिखाए गए हैं।

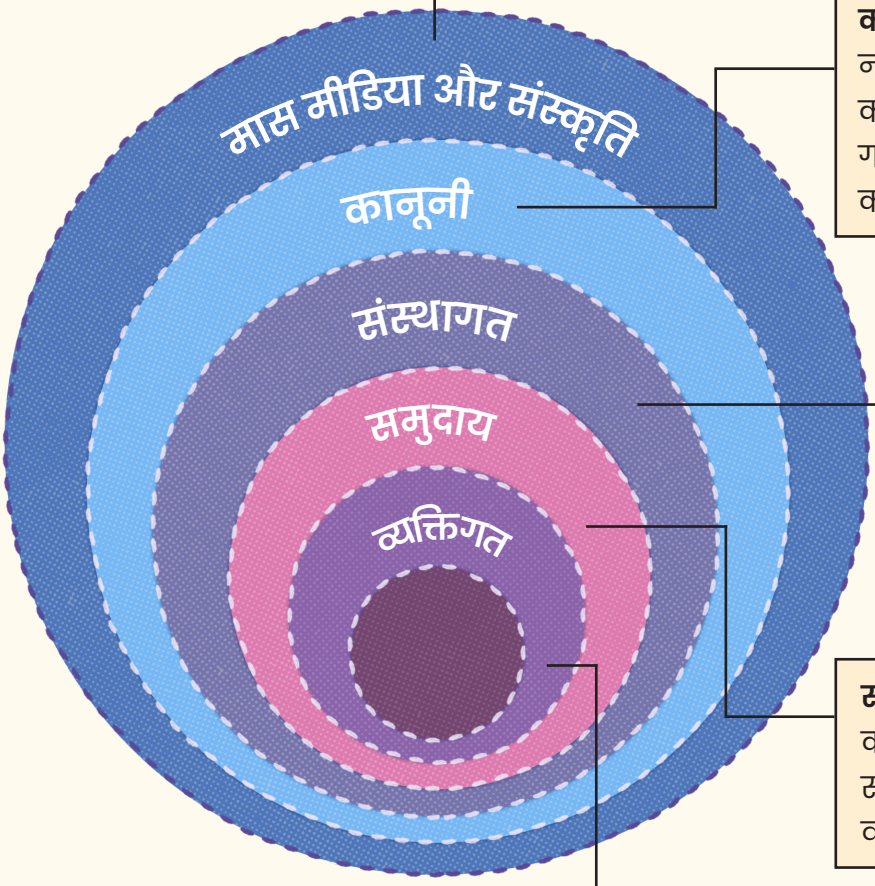

मास मीडिया और संस्कृति: गर्भसमापन चाहने वाले और प्रदान करने वालों का नकारात्मक चित्रण कलंकित करने वाले छवियों और भाषा के माध्यम से होता है।

कानूनी: प्रतिबंधात्मक कानून और नीतियां गर्भसमापन चाहने और प्रदान करने वालों को अपराधी बनाते हैं, और गर्भसमापन के आस-पास गोपनीयता को मजबूत करते हैं।

संस्थागत: स्वयस्थय सुविधा केंद्रों में गर्भसमापन प्रदान करने के ऐसे तरीके जो गर्भसमापन चाहने वालों को और अलग कर देते हैं।

समुदाय: सामुदायिक दृष्टिकोण और कार्य जैसे बहिष्कार, अस्वीकार करना, सार्वजनिक रूप से गर्भसमापन चाहने वालों को अपमानित करना, आदि।

व्यक्तिगत: डर और शर्म की वजह से गर्भसमापन चाहने वालों का गर्भसमापन के विषय पर आत्म-अलगाव और गोपनीयता रहना।

गर्भसमापन के बारे में आम मिथकों और गलत धारणाओं पर प्रतिक्रिया देना

अधिकार अधिवक्ताओं के रूप में हमारी एक प्रमुख जिम्मेदारी अधिकार-आधारित, साक्ष्य-आधारित जानकारी का प्रसार करके गर्भसमापन के बारे में प्रचलित मिथकों और गलत धारणाओं का मुकाबला करना है।

जागरूकता सृजन, ज्ञान प्रसार और सामुदायिक पहुंच के लिए बनाई गई किसी भी सामग्री को तथ्यों और सबूतों का पालन करना चाहिए और मानवाधिकार ढांचे के भीतर दाखिल होना चाहिए। कृपया ऐसे मिथकों को तोड़ने के संदर्भ में निम्नलिखित विषयसूची देखें। आप इस जानकारी को एक फैक्टशीट के रूप में उपयोग कर सकते हैं, या प्रतिभागियों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए बयानों का उपयोग करके एक भागीदारी गतिविधि विकसित कर सकते हैं।[5]

गर्भसमापन से संबंधित चिकित्सा प्रक्रियाओं के बारे में मिथक

मिथक	तथ्य
"एकाधिक गर्भसमापन जोखिम भरा है।"	जब एक योग्य सेवा प्रदाता द्वारा सुरक्षित तरीकों और वातावरण में गर्भसमापन किया जाता है, तो एकाधिक गर्भसमापन का कोई खतरा नहीं होता है।
"दूसरी तिमाही में गर्भसमापन कराना जोखिम भरा होता है।"	यदि यथाशीघ्र गर्भसमापन कराया जाए तो गर्भसमापन अधिक सुरक्षित होता है। हालाँकि, चिकित्सा प्रौद्योगिकी में प्रगति के साथ, दूसरी तिमाही में गर्भसमापन तब सुरक्षित होता है जब प्रशिक्षित प्रदाताओं द्वारा सुरक्षित परिस्थितियों में उचित अनुशंसित तरीकों से किया जाता है।
"घरेलू उपचार जैसे कच्चा पपीता खाना, तिल और गुड़ खाना और लेटेक्स में डूबी हुई छड़ें गर्भाशय में डालना गर्भसमापन के तरीके हैं।"	ये विधियां चिकित्सकीय रूप से अनुमोदित नहीं हैं और इनका अभ्यास करना असुरक्षित हैं। ये तरीके गंभीर स्वास्थ्य जटिलताएँ उत्पन्न कर सकते हैं।

5 कृपया ध्यान दें कि पूरा दस्तावेज़ द वाईपी फाउंडेशन के प्रकाशन से प्राप्त किया जा सकता है जिसे आप वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं। पूरा दस्तावेज़ यहां पढ़ें.

मिथक	तथ्य
"पहली गर्भावस्था में गर्भसमापन कराने पर भविष्य में प्रजनन क्षमता प्रभावित हो सकती है। "	जब सुरक्षित परिस्थितियों में गर्भसमापन किया जाता है, तो प्रजनन क्षमता पर कोई दीर्घकालिक परिणाम नहीं होता है। हालाँकि, जब असुरक्षित परिस्थितियों में गर्भसमापन किया जाता है, तो प्रजनन पथ के संक्रमण सहित रुग्णता और मृत्यु दर हो सकती है जो भविष्य की प्रजनन क्षमता को प्रभावित कर सकती है।
"बाज़ार में चिकित्सीय गर्भसमापन (एमए) गोलियों के प्रचलन से सेक्स-चयनात्मक गर्भसमापन में वृद्धि हुई है।"	सेक्स-निर्धारण अल्ट्रासोनोग्राफी (यूएसजी) के माध्यम से संभव है, न कि पहली तिमाही में। पहली तिमाही में गर्भसमापन को प्रेरित करने के लिए एमए की गोलियाँ कानूनी रूप से निर्धारित की जाती हैं, और कुछ मामलों में, चिकित्सकीय देखरेख में, दूसरी तिमाही में गर्भसमापन को प्रेरित करने के लिए कई खुराक निर्धारित की जाती हैं।

गर्भसमापन की वैधता के बारे में मिथक

मिथक	तथ्य
"भारत में गर्भावस्था को समाप्त करना गैरकानूनी है। "	एमटीपी (संशोधन) अधिनियम 2021 के अनुसार, कुछ शर्तों के तहत गर्भधारण अवधि के 20-24 सप्ताह के भीतर गर्भसमापन की अनुमति है, जिससे भारत में गर्भसमापन एक वैध प्रक्रिया है।
"गर्भसमापन केवल तभी कीया जा सकती है जब कोई "विवाहित महिला" उसकी मांग करे और/या गर्भनिरोधक की विफलता के मामले में उसका पति उसके साथ हो।"	एमटीपी संशोधन अधिनियम ने गर्भसमापन चाहने वालों की परिभाषा को "किसी भी महिला या उसके साथी" तक विस्तारित कर दिया है, जिसका अर्थ है कि वे अविवाहित महिलाएं जो रिश्तों में हैं गर्भनिरोधक की विफलता के आधार पर गर्भसमापन की मांग कर सकते हैं।
"गर्भसमापन केवल विवाहित महिलाओं के लिए है।"	एमटीपी अधनियिम के तहत, वैवाहकि स्थतिकी परवाह कएि बनिा 24 सप्ताह तक की गर्भावस्था को समाप्त कयिा जा सकता है।

जेन्डर से जुड़ी भूमिकाओं और सामाजिक मानदंडों से जुड़े मिथ

मिथक	तथ्य
"गर्भसमापन सेक्स आधारित चयन को बढ़ावा देता है। "	हमें सेक्स आधारित चयन और सेक्स निर्धारण के बीच अंतर करने की ज़रूरत है। सेक्स आधारित चयन जन्म के बाद भी जेन्डर आधारित भेदभाव के रूप में जारी रहता है। सुरक्षित गर्भसमापन तक पहुंच केवल गर्भसमापन चाहने वाले को अपने शारीरिक अधिकारों के प्रति एक स्वस्थ और सहमतिपूर्ण निर्णय की रक्षा और बढ़ावा देने में सक्षम बनाती है।
"विवाह के पूर्व गर्भसमापन अनैतिक है।"	हम बच्चों के पालन-पोषण और जन्म के बारे में पितृसत्तात्मक धारणाओं को बढ़ावा देने के लिए गैर-सहमति वाले संबंधों को बढ़ावा न दें। यह हमेशा गर्भवती व्यक्ति का अधिकार होना चाहिए कि वह गर्भावस्था को जारी रखना चाहते है या नहीं और अपने अधिकार का दावा करने के लिए उसे जबरदस्ती संबंध बनाने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए।
"गर्भसमापन महिलाओं को व्यभिचारी बना देता है।"	यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि गर्भसमापन से जुड़े सामाजिक कलंक चरित्र की बदनामी और गर्भसमापन चाहने वालों के निर्णय के प्रति अनादर को सामाजिक रूप से वैध बनाने के लिए बनाऐ गए हैं।

गर्भसमापन के बारे में जनता की राय बनाने में मीडिया की भूमिका को समझना

गर्भसमापन के संदर्भ में, जनता की राय पर मीडिया के प्रभाव से पता चलता है कि कायम रखा गया कोई भी नकारात्मक अर्थ गर्भसमापन की सेवा चाहने वालों को कलंकित करने में योगदान दे सकता है।

भारतीय मुख्यधारा मीडिया में, प्रिंट मीडिया के साथ-साथ फिल्मों में गर्भसमापन को गलत प्रस्तुत करने में इसकी भूमिका चिंता का कारण बनती है। प्रिंट मीडिया, टीवी फिल्मों आदि में गर्भसमापन के आम मीडिया चित्रणों का विश्लेषण यह प्रदर्शित कर सकता है कि कैसे वे नकारात्मक रूढ़िवादिता, पक्षपातपूर्ण आख्यानों या विषय को सनसनीखेज बनाकर गर्भसमापन के कलंक को मजबूत करते हैं। मीडिया आउटलेट्स को समाचार लेखों, वृत्तचित्रों और अन्य मीडिया प्रारूपों के माध्यम से गर्भसमापन के बारे में सटीक और साक्ष्य-आधारित जानकारी का प्रसार करना चाहिए। गर्भसमापन पर सुलभ और विश्वसनीय जानकारी प्रदान करने, मिथकों से निपटने, सामाजिक मानदंडों को संबोधित करने और विविध दृष्टिकोणों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए मास मीडिया का लाभ उठाया जा सकता है।

प्रभावी मीडिया सहभागिता के लिए रणनीतियाँ

पत्रकारों और मीडिया पेशेवरों के लिए कार्यशालाओं का आयोजन करना और भाषा परिवर्तन के लिए समर्थन के साथ अपनी बातचीत को तैयार करने के लिए नीचे दी गई जांच-सूची का उपयोग करना। याद रखें: पत्रकारों की नैतिक जिम्मेदारी है कि वे गर्भसमापन की संतुलित और तथ्य-आधारित कवरेज प्रदान करें और किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय कलंकपूर्ण भाषा से बचें।

गर्भसमापन पर अधिकार-आधारित परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत करने और अपने संदर्भ और क्षेत्र के अनुभवों के आधार पर मुद्दे पर अंतर्दृष्टि प्रदान करने के लिए फेमिनिज़म इन इंडिया, यूथ की आवाज़ और अन्य स्थानीय समाचार पत्रों, पत्रिकाओं और ऑनलाइन प्लेटफार्मों जैसे डिजिटल प्रिंट माध्यमों में राय प्रस्तुत करें।

युवा अधिवक्ताओं का एक नेटवर्क बनाएं जो डिजिटल मीडिया सहभागिता और कथा निर्माण के लिए प्रवक्ता और सहयोगी हो सकते हैं।

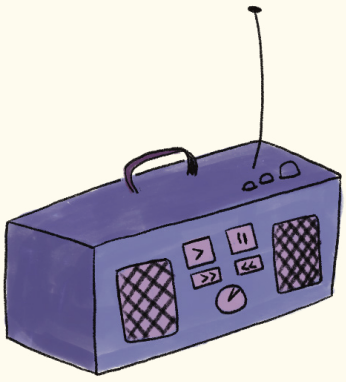

अधिकारों की पुष्टि करने वाली भाषा का उपयोग करके पॉडकास्ट बनाने के लिए सामुदायिक रेडियो सहित रेडियो चैनलों का उपयोग करें।

गर्भसमापन पर अधिकार-आधारित संदेश के लिए मार्गदर्शिका

निम्नलिखित जांच-सूची गर्भसमापन अधिकारों के बारे में बोलते समय अधिकार आधारित भाषा का सक्रिय रूप से उपयोग करने की वकालत करने में मदद कर सकती है। यह अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षित गर्भसमापन दिवस, विश्व जनसंख्या दिवस, यौन और प्रजनन स्वास्थ्य जागरूकता दिवस आदि जैसे प्रमुख अवलोकन दिवसों के दौरान विशेष रूप से सहायक होता है।

कलंकित करने वाली भाषा और बिम्बविधान जिसका प्रयोग करने से बचें	इसके स्थान पर अधिकार-आधारित भाषा/बिम्बविधान का उपयोग किया जाना चाहिए	दलील
1. एक बच्चे का गर्भसमापन कराओ, बेबी; मृत बच्चा; अजन्मा बच्चा; बच्चे को रखो	**एम्ब्रीओ (गर्भावस्था के 10वें सप्ताह तक); भ्रूण (गर्भधारण के 10 सप्ताह से आगे); गर्भावस्था को समाप्त करना; गर्भावस्था जारी रखने का निर्णय**	एम्ब्रीओ या भ्रूण को शिशु या बच्चे के रूप में संदर्भित करना चिकित्सकीय रूप से गलत है क्योंकि यह भाषा को गर्भावस्था की भविष्य की स्थिति पर केंद्रित करता है।
2. कन्या भ्रूण हत्या	**सेक्स-निर्धारित गर्भसमापन**	प्रत्यय '-साइड' 'हत्या' को दर्शाता है जो गर्भसमापन का वर्णन करने के लिए उचित नहीं है। इस प्रथा को 'भ्रूण के अनुमानित सेक्स के आधार पर गर्भावस्था को समाप्त करना' कहना अधिक सटीक है।
3. से छुटकारा	**पूर्ण गर्भावस्था को आगे न बढ़ने का चयन करना; गर्भावस्था समाप्त करने का निर्णय लेना**	सावधानीपूर्वक विचार किए बिना गर्भावस्था को समाप्त करने के निहितार्थ से बचना चाहिए। इसके बजाय, इसे एक सोच-समझकर लिए गए निर्णय के रूप में उजागर करने पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए।

कलंकित करने वाली भाषा और बिम्बविधान जिसका प्रयोग करने से बचें	इसके स्थान पर अधिकार-आधारित भाषा/बिम्बविधान का उपयोग किया जाना चाहिए	दलील
4. जीवन-समर्थक (प्रो-लाइफ)	**पसंद-विरोधी; गर्भसमापन विरोधी**	प्रो-लाइफ का तात्पर्य यह है कि जो लोग कानूनी गर्भसमापन का समर्थन करते हैं वे 'जीवन-विरोधी' हैं, जो गलत है।
5. अवांछित गर्भावस्था	**अनपेक्षित गर्भावस्था; अनियोजित गर्भावस्था**	अनियोजित या अनपेक्षित गर्भावस्था तब होती है जब कोई व्यक्ति गर्भवती होने की कोशिश नहीं कर रहे होते है। इसमें "अवांछित" शब्द जैसे नकारात्मक अर्थ नहीं हैं।
6. गर्भवती व्यक्तियों को दर्शाने वाली छविया उदाहरण: स्रोत: बीबीसी इंडिया	**एमए गोलियों की छवियाँ; विभिन्न प्रकार के लोगों का प्रतिनिधि चित्रण।** उदाहरण: 	एक स्पष्ट रूप से गर्भवती व्यक्ति को दिखाना के लिए अक्सर एक महिला शरीर वाले व्यक्ति को दिखाया जाता है। इससे ध्यान गर्भसमापन चाहने वाले की परिभाषा का विस्तार करने पर नहीं होता है। इसके बजाय गर्भसमापन के तरीकों का प्रदर्शन करने से गर्भसमापन को एक सामान्य चिकित्सा प्रक्रिया के रूप में देखा जा सकता है, जिसमें कोई प्रत्यक्ष तस्वीर भी शामिल न हो जो सामाजिक रूप से भेदभावपूर्ण है।

कलंकित करने वाली भाषा और बिम्बविधान जिसका प्रयोग करने से बचें	इसके स्थान पर अधिकार-आधारित भाषा/बिम्बविधान का उपयोग किया जाना चाहिए	दलील
7. सनसनीखेज छवियां उदाहरण: स्रोतःCNN	तटस्थ अभिव्यक्तियों के साथ व्यक्तियों की छवियां/एनिमेटेड ग्राफिक्स एक बेहतर विकल्प हैं। उदाहरण: 	विशेष रूप से व्यथित भावनाओं को दर्शाने वाली छवियां इस मिथक को कायम रखती हैं गर्भसमापन से लोग त्रस्त या परेशान रहते हैं। इसके विपरीत, गर्भसमापन एक जीवन-रक्षक विकल्प हो सकता है जिसे अधिकांश लोग स्वेच्छा से चाहते हैं।
8. सनसनीखेज छवियां उदाहरण: 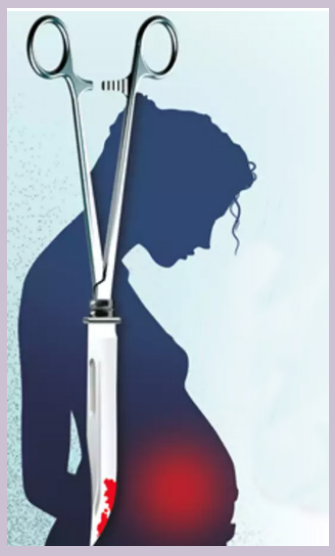 स्रोतःटाइम्स ऑफ इंडिया	गर्भसमापन चाहने वाले को दी गई देखभाल और सहायता को दर्शाने वाली तटस्थ, पुष्टिकारी छवि। उदाहरण: 	गर्भसमापन पर नाटकीय और विकृत कल्पना का उद्देश्य दर्शकों को भयावह और सनसनीखेज तरीके से "आश्चर्यचकित" करना है। सुरक्षित गर्भसमापन को दर्शाने के लिए ऐसी छवियों का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए।

कलंकित करने वाली भाषा और बिम्बविधान जिसका प्रयोग करने से बचें	इसके स्थान पर अधिकार-आधारित भाषा/बिम्बविधान का उपयोग किया जाना चाहिए	दलील
9. भ्रूण की छवियाँ उदाहरण: स्रोत: LiveLaw.in	स्वास्थ्य सेवा प्रदाता के साथ बातचीत करते व्यक्ति की प्रतिनिधि छवियां। उदाहरण: स्रोत: केजेके अस्पताल, केरल	ग्राफ़िक भ्रूण चित्रण भ्रामक है और अक्सर गर्भकालीन आयु के बारे में मिथकों को कायम रखता है जिस पर अधिकांश गर्भसमापन होते हैं। अधिकांश गर्भसमापन पहली तिमाही में होते हैं।

यह सूची आईपीपीएफ के "गर्भसमापन के बारे में कैसे बात करें: अधिकार-आधारित संदेश के लिए एक मार्गदर्शिका" से अनुकूलित है।

अध्याय ५ :
गर्भसमापन अधिकारों पर नीति-निर्धारण के लिए रणनीतियाँ और उपकरण

हालांकि सभी गर्भसमापन अधिकारों के तरफ के प्रयास का व्यापक उद्देश्य यह रहा है की गर्भसमापन की सेवाएं की कीमत कम से कम हो, और सब व्यक्ति इस तक पहुँच पाए, यह बहुत महत्वपूर्ण है कि गर्भसमापन सेवा के प्रावधान के नेटवर्क को मज़बूत किया जाए। यह किया जा सकता है सटीक और वशिष्ट जवाबदेही केंद्रित प्रक्रियाओं के द्वारा, जो युवा नेताओं के नेतृत्व से अधिकार सक्षम वातावरण की जरूरत को बढ़ावा देता है।

साक्ष्य आधारित कथा निर्माण उपयुक्त नीति-निर्माता, विधायक, और सरकारी एजेंसियां में स्वीकृति, सक्रिय रूप से समर्थन और भाग लेने की इच्छा को बढ़ावा देता है ताकि उन्न व्यापक नीतियों पे ज़ोर दिया जा सके जो प्रजनन अधिकारों की रक्षा करें और सुरक्षित और कानूनी गर्भसमापन सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करें। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की विश्व जनसंख्या स्थिति रिपोर्ट 2023 जैसी रेपोर्ट के द्वारा जानकारी प्राप्त करना, या अपने खुद के प्रमाण बनाना कुछ कदम हैं जिससे आप अपना काम आरंभ कर सकते हैं।

आप सूचना के अधिकार अधिनियम में उल्लिखित आर.टी.आई आवेदन दाखिल करने जैसे तरीकों का उपयोग करके, या सेफ रिसोर्स हब में मिस्ट्री क्लाइंट दृष्टिकोण जैसे तरीकों का उपयोग करके भी संसाधन पा सकते हैं।

जानकारी प्राप्त करने के लिए मार्गदर्शक प्रश्नों की एक सूची यहां दी गई है:

1. वर्तमान में / संभावित रूप से कितने युवाओं को गर्भसमापन सेवाओं की आवश्यकता है?

2. कितने युवा गर्भसमापन के लिए उचित परामर्श प्राप्त करने में असमर्थ होना रिपोर्ट करते हैं?

3. कितने युवा रिपोर्ट करते हैं कि वे सूचित निर्णय लेने के आधार पर और किफायती कीमतों पर सुरक्षित प्रदाताओं के माध्यम से गर्भसमापन सेवाओं तक पहुंचने में सक्षम हैं?

4. कितने युवा रिपोर्ट करते हैं कि उन्हें गर्भसमापन कराने की प्रक्रिया में भेदभाव का सामना करना पड़ा है? वे कौन से विभिन्न तरीके हैं जिन में उनके साथ भेदभाव हुआ?

5. युवाओं ने भेदभाव के अनुभव पर अपनी प्रतिक्रिया कैसे व्यक्त की है? परिणामस्वरूप, क्या उन्होंने किसी स्वास्थ्य सेवा प्रदाता के माध्यम से गर्भसमापन कराना नहीं चुना या इसकी जगह कोई असुरक्षित और अविश्वसनीय विकल्प ढूंढा?

6. गर्भसमापन सेवाओं तक पहुँचने में हाशिए पर रहने वाले समूहों, जैसे कम आय पृष्ठभूमि, ग्रामीण क्षेत्रों या अल्पसंख्यक समुदायों के युवाओं को किन विशिष्ट चुनौतियों का सामना करना पड़ता है?

7. क्या उम्र, स्थान, जाति, आर्थिक और वैवाहिक स्थिति युवाओं की गर्भसमापन तक पहुंच को प्रभावित करतें है?

8. विविध जेंडेर और यौनिक पहचान वाले युवा गर्भसमापन की सेवा तक कैसे पहुंचते हैं? कौन सी अनोखी बाधाएँ हैं जिनका उन्हें सामना करना पड़ता है?

9. युवाओं के पास गर्भसमापन के बारे में जानकारी के क्या स्रोत हैं? वे उन तक कैसे पहुँचते हैं?

10. कितने प्रतिशत युवा गर्भसमापन से जुड़ी सटीक और उचित जानकारी का प्रमाण दिखाते हैं?

11. युवाओं को गर्भसमापन सेवाओं तक पहुँचने में किन सामाजिक और सांस्कृतिक बाधाओं का सामना करना पड़ता है, जैसे कलंक, ज्ञान की कमी, या सीमित समर्थन?

- एक आर.टी.आई अंग्रेजी/हिंदी/राज्य की सरकारी भाषा में लिखी जा सकती है।
- आवेदक का पूरा नाम, संपर्क विवरण और पते का उल्लेख होना चाहिए।
- डिमांड ड्राफ्ट या बैंकर्स चेक या भारतीय पोस्टल ऑर्डर के साथ पंजीकृत डाक से भेजें। सूचना मांगने के लिए निर्धारित शुल्क के रूप में 10/- (दस रुपये) सार्वजनिक प्राधिकरण के लेखा अधिकारी को देय होगा।
- यदि 30 दिनों के भीतर आवेदन का कोई जवाब नहीं मिलता है या जानकारी अधूरी है, तो आवेदक प्रथम अपीलीय प्राधिकरण (एफ.ए.ए) को पहली अपील दाखिल कर सकतें है।

जन सूचना अधिकारी
स्वास्थ्य सेवा निदेशालय
जोरहाट, असम- 785001।

प्रिय महोदय/महोदया,

विषय: सूचना का अधिकार (2005) अधिनियम के तहत निम्नलिखित जानकारी का अनुरोध।

1. कृप्या मुझे सोनितपुर ज़िले में गर्भसमापन सेवाएं प्रदान करने वाले पंजीकृत सरकारी, निजी अस्पतालों, नर्सिंग होम और अन्य क्लीनिकल संस्थान की सूची प्रदान करें।

2. कृप्या मुझे प्रत्येक पंजीकृत स्वास्थ्य सुविधाओं में अनुमत/प्रयुक्त/प्रचलित अधिकृत गर्भसमापन विधियों की सूची प्रदान करें (प्रश्न 1 में उल्लिखित)।

3. कृप्या मुझे इस संबंध में जानकारी प्रदान करें कि क्या इन सुविधाओं में गर्भसमापन से पहले और बाद परामर्श सेवाएं प्रदान की जाती हैं। (प्रश्न 1 में उल्लिखित)

उपरोक्त जानकारी प्राप्त करने के लिए मैंने कोर्ट फीस स्टांप (रु. 10/- मूल्य के लिए) चिपका दिया है। यदि जानकारी का कोई भाग आपके कार्यालय/विभाग में उपलब्ध नहीं है, तो कृपया मुझे उचित स्वीकृति के साथ आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के तहत संबंधित विभाग को विशेष प्रश्न अग्रेषित करें।

सम्मान सहित,

[आवेदक का नाम, दिनांक और स्थान]

अभिनेताओं, प्रभावित करने वालों और निर्णय लेने वालों की पहचान करना

जिन जवाबदेही प्रक्रियाओं को हम अपने अभियान के माध्यम से मज़बूत कर रहे हैं, उनसे जुड़े सरकारी संस्थायों और नीति-निर्माताओं को समझना महत्वपूर्ण है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि जबकि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय राष्ट्रीय स्तर पर भारत में स्वास्थ्य नीति से संबंधित सर्वोच्च मंत्रालय है, भारत के संविधान के अनुसार सार्वजनिक स्वास्थ्य एक राज्य का विषय है। इसका मतलब यह है कि भारत के सभी राज्यों और जिलों में स्वास्थ्य विभागों के लिए कोई मानक संगठनात्मक संरचना नहीं है। हर राज्य की स्वास्थ्य प्रदान करने का व्यवस्था अपनी होती है, केन्द्रीय सरकार से स्वतंत्र।

राज्य स्तर पर संस्था राज्य के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत होती है और इसका नेतृत्व राज्य मंत्री सचिवालय के साथ करते है, सचिव/आयुक्त के प्रभार में (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण) भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के कैडर से जुड़े। राज्य स्वास्थ्य सेवा निदेशालय, तकनीकी विंग के रूप में, राज्य स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग का एक संलग्न कार्यालय है और इसका नेतृत्व स्वास्थ्य सेवा निदेशक करता है।[6]

राज्य के साथ-साथ ज़िला स्तर पर स्वास्थ्य प्रणालियों की बुनियादी संगठनात्मक और प्रशासनिक व्यवस्था को समझने और निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल विशिष्ट अधिकारियों और समितियों की पहचान करने के लिए, इस चार्ट का पालन करें:

6 For more clarity, visit the website of the health department of your respective state government. For example, here is the organisational structure of Govt. of Kerala's Health and Family Welfare Department:

State Level

राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

- राज्य के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण कैबिनेट मंत्री के नेतृत्व में।
- स्वास्थ्य नीतियां बनाना, और रपने राज्यों में इन नीतियों की निगरानी और कार्यान्वियन करना।

राज्य सचिवालय

- प्रमुख सचिव/आयुक्त की अध्यक्षता में और संयुक्त सचिवों एवं अन्य भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) संवर्ग के प्रशासनिक कर्मचारी के सहित।

राज्य स्वास्थ्य निदेशालय

- स्वास्थ्य सेवा निदेशक के नेतृत्व में, जो सार्वजनिक स्वास्थ्य से संबंधित सभी मामलों पर राज्य सरकार के मुख्य तकनीकी सलाहकार हैं।
- सभी स्वास्थ्य गतिविधियों, चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण, अनुसंधान, योजनाओं का कार्यान्वयन, जागरूकता सृजन, स्वास्थ्य बीमा, आदि के संगठन और निर्देशन के लिए जिम्मेदार।

एक बार जब उन प्रमुख निकायों और संस्थानों की पहचान हो जाती है जो गर्भसमापन और प्रजनन स्वास्थ्य पर नीतियों पर निर्णय लेकर उन्हे आकार देने के लिए ज़िम्मेदार हैं, तो अगला कदम इन निकायों के भीतर उन व्यक्तियों के बारे में जानकारी इकट्ठा करना है जिनके पास आपकी मांगों पर कार्रवाई करने की शक्ति है। प्रभावशाली लोगों को ढूंढने के विभिन्न तरीके हैं। गर्भसमापन अधिकारों के संदर्भ में सहयोगियों और विरोधियों का मानचित्र बनाएं - उन्हें इस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है:

सक्रिय सहयोगी: ऐसे व्यक्ति जो सुरक्षित गर्भसमापन और प्रजनन अधिकारों के लिए सक्रिय रूप से समर्थन और वकालत करते हैं। वे अपने समर्थन में सक्रिय होते हैं और सक्रिय रूप से गतिविधियों में भाग लेते हैं, जैसे सभाओं का हिस्सा बनना, सामूहिक रूप से अधिकार-आधारित कथा का निर्माण करना और अधिक लोगों को इस प्रयास में शामिल करना।

निष्क्रिय सहयोगी: ऐसे व्यक्ति जो आपके उद्देश्य का समर्थन करते हैं लेकिन सक्रिय रूप से अधिक लोगों को इस प्रयास में शामिल करने की गतिविधियों में भाग नहीं लेते। मुद्दे पर उनका दृष्टिकोण सकारात्मक हो सकता है, लेकिन सीधे कार्रवाई करने के बजाय वे निष्क्रिय तरीकों से इस मुद्दे का समर्थन कर सकते हैं, जैसे कि सोशल मीडिया पोस्ट लाइक करना, जानकारी साझा करना या मौखिक रूप से अपनी सहमति व्यक्त करना। आप उन्हें सक्रिय कार्रवाई में भाग लेने के लिए मनाने में सक्षम हो सकते हैं।

तटस्थ: तटस्थ ऐसे व्यक्ति हैं जो गर्भसमापन से संबंधित मुद्दों का न तो सक्रिय रूप से समर्थन करते हैं और न ही सक्रिय रूप से विरोध करते हैं। उनके पास इस मुद्दे पर सीमित ज्ञान या रुचि हो सकती है या वे कोई पद न लेना पसंद करते हैं। इस समूह को नजरअंदाज न करें। सहयोगी बनने के लिए उन्हे अधिक जानकारी या अनुनय की आवश्यकता हो सकती है या वे तटस्थ रहना चुन सकते हैं।

सक्रिय विरोधी: सक्रिय विरोधी वे व्यक्ति हैं जो गर्भसमापन अधिकारों का सक्रिय रूप से विरोध करते हैं या उनके खिलाफ काम करते हैं। उनके विरोध का कारण वैचारिक, राजनीतिक या व्यक्तिगत हो सकते हैं। गर्भसमापन जैसे कलंकित मुद्दे की वकालत करते समय विरोधियों और उनके तर्कों और रणनीति को जानना महत्वपूर्ण है ताकि उनका मुकाबला प्रभावी ढंग से किया जा सके। सक्रिय विरोधियों के साथ शामिल होना चुनौतीपूर्ण हो सकता है लेकिन सम्मानजनक बातचीत करने से कभी-कभी परिप्रेक्ष्य में बदलाव आ सकता है या आपसी हित की बात करने की जगह भी बन सकती है।

निष्क्रिय विरोधी: निष्क्रिय विरोधी भी गर्भसमापन और प्रजनन अधिकारों का विरोध करते हैं लेकिन यह संभव है की वे इससे संबंधित विपक्षी गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल न हों। वे इस मुद्दे पर नकारात्मक विचार रख सकते हैं लेकिन सक्रिय रूप से अपना विरोध व्यक्त नहीं करते। वे चुपचाप असहमत हो सकते हैं या अपना विरोध सीमित तरीकों से व्यक्त कर सकते हैं, जैसे समर्थन ना देना या निजी तौर पर अपनी असहमति व्यक्त करना।

अपने हितधारकों को जानें

पावर का मानचित्रण एक दृश्य है जो अधिवक्ताओं को यह पहचानने में मदद करता है कि परिवर्तन लाने की शक्ति किसके पास है, और उन्हें प्रभावित करने के लिए किन प्रमुख संबंधों और सत्ता से जुड़े पहलू पर विचार किया जाना चाहिए। यह ज़रूरी नहीं की सबसे ऊंचे स्तर के प्राथमिक निर्णय-निर्माता तक हमेशा तुरंत पहुंचना मुमकिन हो। ऐसी स्थिति में, वे कौन से लोग और नेटवर्क हैं जिनका उपयोग एक युवा नेता निर्णय-निर्माता को प्रभावित करने के लिए कर सकते है? इन नेटवर्कों और रिश्तों को समझने से एक 'मानचित्र' मिलेगा जिससे यह समझ या पाएगा की कौन और क्या आपका लक्ष्य है।

पावर का मानचित्रण करने के कदम इस प्रकार हैं:

1. गर्भसमापन अधिकारों पर सामूहिक कार्रवाई करने वाले संभावित निर्णय निर्माताओं और भागीदारों की एक सूची बनाएं:

व्यक्ति/संस्थान का नाम	आपके लक्ष्य के लिए समर्थन (सक्रिय सहयोगी/ निष्क्रिय सहयोगी/तटस्थ/ सक्रिय विरोधी/ निष्क्रिय विरोधी)	परिवर्तन को प्रभावित करने की शक्ति (उच्च, मध्यम, निम्न)	आपके साथ जुडने में आसानी (आसान/ मुश्किल)	उनसे संपर्क में कैसे आयें

2. इन हितधारकों और प्रभावशाली लोगों को उनके समर्थन और शक्ति के आधार पर एक चतुर्भुज आरेख पर चित्रित करके एक दृश्य 'मानचित्र' बनाएं।

पावर का मानचित्रण

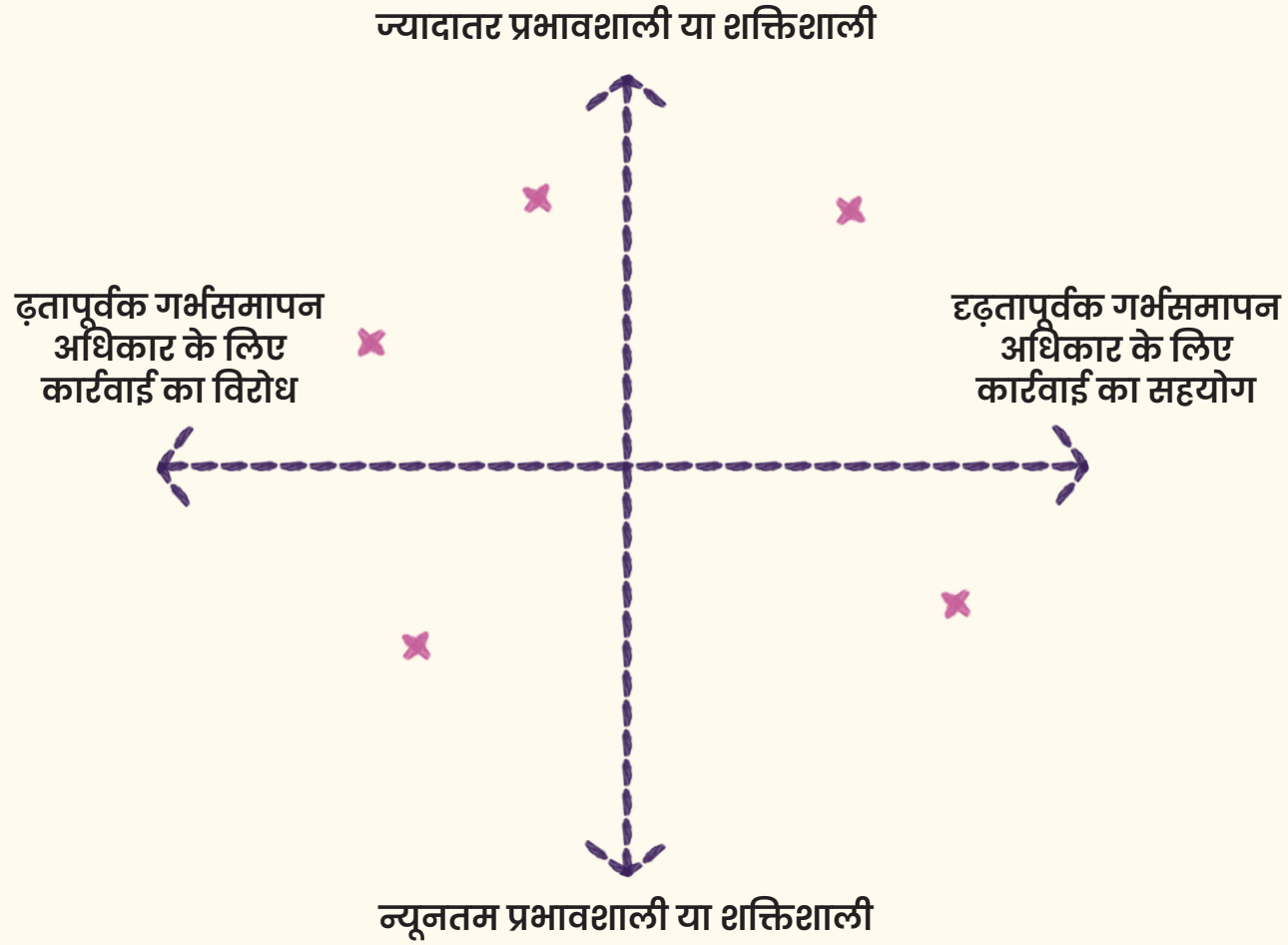

हितधारकों के साथ करने वाली बातचीत के प्रकार:

साक्ष्य-आधारित बातचीत: ये बातचीत अनुसंधान, डेटा, और तथ्यों का उपयोग करती है। असुरक्षित गर्भसमापन के प्रभाव, सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित गर्भसमापन पहुंच के लाभ, मातृ मृत्यु दर पर आंकड़े, और प्रजनन स्वास्थ्य और कल्याण के सकारात्मक परिणामों पर प्रलेखित साक्ष्य का प्रयोग ऐसे तर्कों को मजबूत करने के लिए किए जा सकता हैं। ऐसे तर्क विश्वसनीय जानकारी प्रस्तुत करके और विवाद के प्रभाव को कम करके एक मजबूत मामला बनाने में मदद करते हैं।

भावनात्मक बातचीत: हितधारकों से जुड़ने के लिए व्यक्तिगत कहानियाँ, गवाही और आख्यान शामिल करें। यह सुनिश्चित करें कि युवा अपनी बातें स्वयं साझा करने और अपनी मांगों को व्यक्त में सक्षम हों।

नैतिक तर्क: ये तर्क मानवाधिकार और सामाजिक न्याय के दृष्टिकोण को केन्द्रित करते हैं। शारीरिक स्वायत्तता के अधिकार पर ज़ोर देना और हाशिए पर रहने वाले समुदायों, कम आय वाले व्यक्तियों और भेदभाव के अन्तर्विभाजक रूपों का सामना करने वाले लोगों पर प्रतिबंधात्मक गर्भसमापन कानूनों के असंगत प्रभाव पर प्रकाश डालने से एक निर्णय निर्माता की जिम्मेदारी की भावना को प्रभावित किया जा सकता है। इन तर्कों का उपयोग करके एक सत्ता धारण करने वाले व्यक्ति को भी जवाबदेह ठहराया जा सकता है।

द्विपक्षीय एजेंडा और सहभागिता रणनीति विकसित करने से पहले सारी जानकारी एक साथ रखने के लिए नीचे दिए गए टेम्पलेट का उपयोग करें:

निर्णयकर्ता का नाम और पद	निर्णय लेने वाले के लिए क्या महत्व रखता है?	आपका संदेश क्या है? साक्ष्य-आधारित, नैतिक और भावनात्मक बातचीत का प्रयोग करें	आपत्तियों का अनुमान लगाएं और प्रतिक्रियाएँ तैयार करें
उदाहरण: कखग	सार्वजनिक स्वास्थ्य और युवा अधिकार	सामान्य रूप से सार्वजनिक स्वास्थ्य पर दुर्गम गर्भसमापन सेवाओं के निहितार्थ पर प्रकाश डालें। सांख्यिकीय साक्ष्य का प्रयोग करें। उदाहरण देकर स्पष्ट करें कि प्रजनन अधिकार, एजेंसी और स्वायत्तता युवाओं को कैसे सशक्त बनाते हैं।	आपत्ति: युवाओं की गर्भसमापन की सुविधा तक पहुँच बढ़ाने से वे असुरक्षित और गैर-ज़िम्मेदार यौन संबंध बनाने के लिए प्रभावित हो सकते हैं। प्रतिक्रिया: अनेक अनुसंधान से प्राप्त साक्ष्यों को प्रस्तुत करें जिनके माध्यम से पता चलता है कि एस.आर.एच. आर के बारे में व्यापक जानकारी प्राप्त करने वाले युवा स्वस्थ यौन व्यवहार प्रदर्शित करते हैं।

निर्णयकर्ता का नाम और पद	निर्णय लेने वाले के लिए क्या महत्व रखता है?	आपका संदेश क्या है? साक्ष्य-आधारित, नैतिक और भावनात्मक बातचीत का प्रयोग करें	आपत्तियों का अनुमान लगाएं और प्रतिक्रियाएँ तैयार करें

अतिरिक्त उपकरण:

- मुख्य संदेशों पर प्रकाश डालने, प्रासंगिक तर्क प्रस्तुत करने, चुनौतियों की रूपरेखा तैयार करने और सहयोग के लिए ठोस अगले कदम प्रदान करने के लिए प्रेजेंटेशन डेक (पीपीटी), छोटी वीडियोस आदि जैसी संचार सामग्री तैयार करें।

- अपने मुद्दे का एक संक्षिप्त परिचय, एक स्पष्ट, संभव मांग और उस दिशा में कार्रवाई करने के अपेक्षित प्रभाव को तैयार करके अपनी बात रखें।

- लक्षित दर्शकों से मिलने से पहले कुछ बार इसका अभ्यास करें ताकि आप कोई आने वाले परिवर्तनों और चुनौतियों का अनुमान लगा सकें।

बात करते रहें: हितधारक संचार चैनल विकसित करना

हितधारकों की पहचान हो जाने और संदेशों के तैयार हो जाने के बाद प्रभावी संचार चैनलों की पहचान करना महत्वपूर्ण है ताकि आपके संदेश लक्षित दर्शकों तक पहुंचें और संलग्न हों। चैनलों का चुनाव इस बात पर निर्भर करेगा की संदेश किस किस्म का है और आपके पास उपलब्ध संसाधन क्या हैं। हितधारकों तक संदेश पहुंचाने के कुछ तरीके यहां दिए गए हैं:

उपयुक्त संदेशवाहक का चयन करना: संदेशवाहक वे व्यक्ति या समूह हैं जो लक्षित दर्शकों तक नीति संदेश पहुंचाते हैं। आदरशस्वरूप, इन संदेशवाहकों के पास से लक्ष्य निर्णयकर्ताओं को कार्य करने के लिए मजबूर करने के लिए कुछ स्तर पर सत्ता या प्रभाव होना चाहिए। यह कोई भी वह व्यक्ति/गठबंधन/संगठन हो सकतें है जो निर्णय निर्माताओं तक पहुंच पाएं। उदाहरण के लिए: यदि लक्ष्य निर्णय लेने वाले ज़िला मुख्य चिकित्सा अधिकारी है, तो उसी रैंक का एक अधिकारी या उसी विभाग में काम करने वाले कोई एक अधीनस्थ अधिकारी संदेशवाहक बन सकते है। उन सभी संस्थाओं की एक सूची बनाएं जो निर्णय-निर्माता को राज़ी करने में सक्षम होने की सबसे अधिक संभावना रखते हैं, और आपके संदेश को पहुँचाने के वे कितने ईछुक हैं, यह समझने के लिए उनसे संपर्क करिए।

लक्षित निर्णय-निर्माताओं को लिखित संचार: यदि प्रभावशाली संदेशवाहकों और नेटवर्क तक पहुंच उपलब्ध नहीं है, तो अधिवक्ता औपचारिक पत्रों, ईमेल, ट्वीट आदि के माध्यम से निर्णय-निर्माताओं से सीधे संवाद करके व्यक्तिगत बैठक, टेलीफोन पर बातचीत या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने का प्रयास किया जा सकता है।

समर्थन बनाने के लिए सामुदायिक गतिशीलता: सामूहिक अनुरोधों को बढ़ावा देने, व्यापक समर्थन प्रदर्शित करने और एक मजबूत सामूहिक आवाज़ बनाने के लिए समुदाय के सदस्यों, संघों, युवा नेटवर्क आदि को शामिल और संगठित करना हमेशा सहायक होता है। अध्याय 5:लोगों की शक्ति का निर्माण में प्रभावी सामुदायिक भागीदारी के लिए रणनीतियों के बारे में और पढ़ें।

अध्याय 5:
लोगों की शक्ति का निर्माण

आइए बिंदुओं को जोड़ें। आइए लोगों को जोड़ें। आइए कलंक के संकेंद्रित घेरों को तोड़ें। निम्नलिखित उदाहरण आपको प्रजनन अधिकारों की वकालत करने के लिए कुछ प्रमुख व्यावहारिक परिवर्तन तकनीकों की पहचानने में मदद करेंगे। आप देखेंगे कि प्रासंगिक तकनीकों का उपयोग हमेशा लाभदायक होता है क्योंकि इसके माध्यम से हम यह सुनिश्चित कर पाते हैं की सामुदायिक पहुँच का दायरा बढ़े, और किशोरों और युवाओं के लिए एक सहायता की व्यवस्था भी स्थापित हो सके जिसके द्वारा वे शारीरिक स्वायत्तता और स्वतंत्रता से जुड़े अधिकारों को आगे बढ़ा पाएं।

जमीनी स्तर पर सत्ता का निर्माण

- **युवा/सामुदायिक मंच:** यह पता करें यदि आप सामुदायिक केंद्रों या नेहरू युवा केंद्रों से संपर्क कर सकते हैं या सार्वजनिक बैठकें आयोजित कर सकते हैं जहां युवा एक साथ आयें और बातचीत में भाग लें। उचित अनुमति के साथ किसी कॉलेज की कैंटीन में भी यह संभव हो सकता है। हमेशा यह सुनिश्चित करें कि यह विभिन्न पहचानों और सामाजिक स्थानों से आने वाले युवाओं के लिए एक गैर-निर्णयात्मक, सुलभ और सुरक्षित स्थान है।

- **नुक्कड़ नाटक:** सामुदायिक संवाद को आगे बढ़ाने के लिए नुक्कड़ नाटक का उपयोग करना बहुत प्रभावी है। कॉलेजों के छात्र और समाज पूरे वर्ष नुक्कड़ नाटक का प्रदर्शन करते हैं। समितियों में से किसी एक तक पहुंचें और गर्भसमापन पहुंच पर कलंक को तोड़ने पर एक नाटक या प्रदर्शन की अधिकार आधारित पटकथा बनाने में उनकी सहायता करें। यह आप भाषा से जुड़े सुझाव देके कर सकते हैं।

- **पोस्टर और पैम्फलेट:** पोस्टर और पैम्फलेट को सरल, स्पष्ट संदेश और सम्मोहक दृश्यों के साथ बनाया जा सकता है और ऐसे सार्वजनिक स्थानों पर रखा/वितरित किया जा सकता है जहां बोहोत लोगों का आना जाना हो, जैसे विध्यालय, सामुदायिक केंद्र आदि। इनका उपयोग सूचना प्रसारित करने या ध्यान आकर्षित करने और दर्शकों का मार्गदर्शन करने के लिए किया जा सकता है। इनके द्वारा आप उन्हे बात सकते हैं कि आप उनसे आगे क्या अपेक्षा रखते हैं - चाहे वह किसी वेबसाइट पर जाना हो, किसी कार्यक्रम में भाग लेना हो, या कोई विशिष्ट कार्रवाई करनी हो। आप उपरोक्त अध्यायों में दी गई किसी भी जानकारी का भी उपयोग कर सकते हैं।

गठबंधन में भाग लेना

गतबंधन निर्माण करने से सत्ता, प्रभाव, और संसाधनों को एकत्रित किया जा सकता है। इसके माध्यम से समन्वित गतिविधियां की जा सकती है और सहयोगियों की तलाश हो सकती है। आप निम्नलिखित चरणों का उपयोग करके गठबंधन में भाग ले सकते हैं या उसका निर्माण कर सकते हैं:

चरण 1: समान विचारधारा वाले अभिनेताओं को ढूंढें: ऐसे मौजूदा गैर सरकारी संगठनों, नागरिक समाज संगठनों (सी.एस.ओ), युवा नेटवर्क, कार्यकर्ताओं का पता लगाएं जो गर्भसमापन अधिकारों और प्रजनन अधिकारों पर या युवाओं के साथ उनके एस.आर. एच.आर मुद्दों पर काम करें।

चरण 2: मूल्यों को जोड़ें: कथा निर्माण के लिए एक मूल्य संबंध होना महत्वपूर्ण है जो सामूहिक रूप से सामान्य मांगों पर ध्यान केंद्रित कर सके।

चरण 3: नेतृत्व और अनुभवों में विविधता लाएं: सुनिश्चित करें कि जीवित अनुभव गठबंधन में नेतृत्व का मूल है और सदस्य उस ही निर्वाचन-क्षेत्र से हैं जिस के अनुभवों का उपयोग विभिन्न हितधारकों को प्रभावित करने के लिए किया जा रहा है।

डिजिटल रूप में सत्ता का निर्माण

गर्भसमापन से जुड़े कलंक को कम करने के लिए सोशल मीडिया अभियान सुआयोजित और सोच समझकर निष्पादित होना चाहिए ताकि इसके माध्यम से जागरूकता बढ़े, सटीक जानकारी प्रदान हो, सहानुभूति को बढ़ावा मिले, और गर्भसमापन से जुड़ी नकारात्मक रूढ़ियों और निर्णय को चुनौती दी जा सके।

ऐसा अभियान बनाने के लिए चरण सहित एक मार्गदर्शिका यहां दी गई है:

1. **अपने अभियान के उद्देश्यों को परिभाषित करें:** अपने अभियान के लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से रेखांकित करें। आप क्या हासिल करने की अपेक्षा रखते हैं? कुछ उदाहरण हैं - कलंक को कम करना, प्रजनन अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और सहानुभूति और एकजुटता को बढ़ावा देना।

2. **अपने लक्षित दर्शकों की पहचान करें:** जिन लोगों तक आप पहुंचना चाहते हैं उनकी जनसांख्यिकीय और मनोवैज्ञानिक विशेषताओं का निर्धारण करें। उम्र, जेन्डर, स्थान और गर्भसमापन के प्रति दृष्टिकोण पर विचार करें। आप अपने दर्शकों को जानने के लिए अपने सोशल मीडिया पेजों से जानकारी का उपयोग कर सकते हैं।

3. **एक सम्मोहक अभियान के विषय को विकसित करें:** अपने अभियान के लिए नारा, हैशटैग, या तकिया कलाम बनाएं जो आपके संदेश को सारांशित करता है और आपके लक्षित दर्शकों के साथ प्रतिध्वनित होता है। उदाहरण के लिए, #कलंक को तोड़ो, #गर्भसमापन हेल्थकेयर है, या #अजेय आंदोलन।

4. **आकर्षक सामग्री बनाएं:** ग्राफ़िक्स, वीडियो और लिखित सामग्री सहित विभिन्न प्रकार के पोस्ट से जुड़ा एक सामग्री कैलेंडर विकसित करें। सामग्री सूचनात्मक और गैर-निर्णयात्मक होनी चाहिए। सुनिश्चित करें कि आप संवेदनशील या व्यक्तिगत रूप से ट्रिगर करने वाली सामग्री साझा करते समय ट्रिगर चेतावनियों का उपयोग कर रहे हैं।

5. **साझेदारों के साथ मिल कर काम करे:** उन संगठनों, समूहों और प्रभावशाली लोगों के साथ साझेदारी करें जो गर्भसमापन अधिकार क्षेत्र में सहयोगी हैं। यह सहयोग हमें संदेशों को बढ़ावा देने और ज्यादा लोगों तक पहुंचने में मदद करता है।

6. **अपने दर्शकों को शामिल करें**: लाइक, शेयर, टिप्पणियों और उपयोगकर्ता द्वारा विकसित सामग्री से बातचीत को प्रोत्साहित करें। बातचीत को बढ़ावा देने और प्रतिक्रिया इकट्ठा करने के लिए मतदानों, सर्वेक्षणों और इंटरैक्टिव "स्टोरीस" का उपयोग करना गर्भसमापन के संदर्भ में चुनने के अधिकार को बढ़ाने के लिए विशेष रूप से प्रभावशाली रहा है।

7. **एक से अधिक सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म का उपयोग करें:** अपनी सामग्री को प्रत्येक सोशल मीडिया साइट पर विशिष्ट प्लेटफ़ॉर्म और दर्शकों के अनुरूप बनाएं, चाहे वह फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, जोश या कोई अन्य हो।

8. **दृश्य कथावाचन का उपयोग करें:** दृश्य सामग्री, जैसे इन्फोग्राफिक्स (जानकारी या तथ्य का दृश्य वर्णन), चित्र और छोटी वीडियो आपके संदेश को व्यक्त करने और लोगों में भावनाओं को जगाने में बहुत प्रभावी हो सकते हैं। आप सेफ रिसोर्स हब पर दिए हुए पोस्टर को भी देख सकते हैं।

9. **नज़र रखें और जवाब दें:** टिप्पणियों और संदेशों पर नज़र रखें, और प्रश्नों या चिंताओं का जवाब सटीक जानकारी के साथ दें।

याद रखें कि गर्भसमापन के कलंक को दूर करना एक चलती हुई प्रक्रिया है। अपने दर्शकों के साथ जुड़ना जारी रखें और उन व्यक्तियों का समर्थन करें जिन्होंने गर्भसमापन का अनुभव किया है, ताकि सहानुभूतिपूर्ण और सक्षम प्रणालियों को बढ़ावा दिया जा सके जो शारीरिक स्वायत्तता को केंद्र में रख के उसे प्रोत्साहित करे।

- गर्भसमापन पर साक्ष्य-सूचित और अधिकार-आधारित जानकारी और संसाधन वेबसाइट और ब्लॉग के रूप में उपलब्ध कराए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए, SAFE रिसोर्स हब (https://safe.theypfoundation.org/) का उद्देश्य गर्भसमापन पर प्रासंगिक और व्यापक जानकारी प्रदान करना है। कुछ लोकप्रिय मुफ्त वेबसाइट हैं वर्डप्रेस (https://wordpress.com), विक्स (https://www.wix.com), और ब्लॉगर (https://www.blogger.com)।

- बॉलीवुड फिल्मों में गर्भसमापन के चित्रण पर चर्चा करने वाले वाईपी फाउंडेशन के सोशल मीडिया पोस्ट का एक उदाहरण यहाँ देखे।

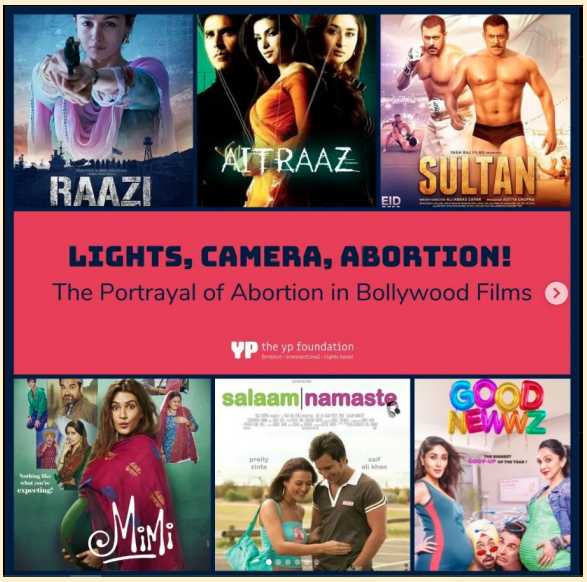

- ट्विटर जैसी माइक्रोब्लॉगिंग साइट संक्षिप्त सामग्री साझा करने और समर्थकों और हितधारकों के साथ तुरंत संचार को प्रोत्साहित करने के लिए उपयोगी हैं। हितधारकों के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पे उन्हे टैग किया जा सकता है। दृश्यता बढ़ाने और ज्यादा दर्शकों तक पहुंचने के लिए ट्वीट्स में प्रासंगिक हैशटैग का उपयोग किया जा सकता है। प्रासंगिक हैशटैग के उदाहरण हैं #सुरक्षित गर्भपआत, #प्रजनन अधिकार, #गर्भसमापन हेल्थकेयर है, और #मेरा शरीर, मेरा चुनाव। ट्विटर पर विशेषज्ञ और अभिवक्ताओं के साथ सुरक्षित गर्भसमापन की पहुँच से जुड़ी बातचीत या सवाल-जवाब के सत्रों का आयोजन किया जा सकता है।

अध्याय 6:
संसाधन

गर्भसमापन समर्थकों के लिए स्व-देखभाल सुझाव

- अपनी सेहत का ख्याल रखें। परिवर्तन में अक्सर देरी और विलंब शामिल होते है, जिसकी वजह से लंबे समय के बाद अभिभूत या निराश महसूस हो सकता है। शारीरिक व्यायाम, पौष्टिक भोजन और पर्याप्त नींद लेकर अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना महत्वपूर्ण है।

- अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में न डालें। गर्भसमापन जैसे संवेदनशील और सामाजिक रूप से कलंकित मुद्दे के लिए जवाबदेही की मांग करते हुए आलोचना और प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ सकता है। अपनी सुरक्षा और संरक्षा के लिए सावधानी बरतना महत्वपूर्ण है। यदि कोई ऐसी स्तिथि आए जिसमे धमकियां, आपका पीछा होना, या हिंसा शामिल है तो अपने समुदाय या पुलिस अधिकारियों से तत्काल मदद लें।

- यह पहचानना महत्वपूर्ण है कि इस मुद्दे पर काम करने वाले आप अकेले नहीं हैं। अपने काम और भागीदारी में सहायता के लिए अन्य संगठनों या समान विचारधारा वाले लोगों की तलाश करें। साथियों का समर्थन महत्वपूर्ण है।

- अपनी सुरक्षा और भलाई को प्राथमिकता देने में अपने आप को दोषी महसूस न करें। आपकी व्यक्तिगत भलाई और मानसिक स्वास्थ्य हमेशा पहले है, आत्म-देखभाल आपकी जवाबदेही यात्रा का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है।

- व्यक्तिगत सोशल मीडिया प्रोफाइल को उन प्रोफाइल से अलग रखें जिनका उपयोग आप सार्वजनिक कार्यों के लिए करते हैं।

- आपके सोशल मीडिया अकाउंट पर एंड टू एंड एन्क्रिप्शन लगाएं और यदि आप सभी टिप्पणियों में शामिल नहीं होना चाहते हैं तो आप टिप्पणियों के विकल्प को बंद कर सकते हैं।

- यह संभव है की आप कुछ अकाउंट पर अपनी तस्वीरों का उपयोग न करना चाहें - कलाकृति या सामान्य स्टॉक फ़ोटो का उपयोग करना बिल्कुल ठीक है यदि यह आपको सुरक्षित रहने में मदद करता है!

सुरक्षित गर्भसमापन पहुंच पर काम करने वाले नेटवर्क और संगठन

- कॉमन हेल्थ कोअलिशन (commonhealth.in)
- एशिया सेफ अबॉर्शन पाट्नर्शिप - ऐ.एस.ऐ.पी (asap-asia.org)
- इपास डेवलपमेंट फाउंडेशन (ipasdevelopmentfoundation.org)
- यंग ऐक्टिविस्ट नेटवर्क फॉर अबॉर्शन ऐड्वोकसी - वाई.ऐ.एन.ऐ.ऐ (safeabortionwomensright.org/network/yanaa/)
- स.आ.ई.ग.ऐ (https://saige.arrowadvocacy.org)

द वाईपी फाउंडेशन द्वारा कुछ पहल

द वाईपी फाउंडेशन अल्पकालिक रूप से संलग्न होकर सभी के लिए गर्भसमापन तक पहुंच बनाने के लिए युवाओं के नेतृत्व का निर्माण करता है ताकि वे आख्यान परिवर्तन की मांग कर सके। पंजाब के रूपनगर ज़िला प्रशासन के साथ ऐसी ही एक भागीदारी में ज़िले के उपायुक्त ने अधिकृत गर्भसमापन सुविधाओं की निगरानी और मूल्यांकन को मासिक आधिकारिक बैठकों के कार्यसूची में प्राथमिकता देकर शामिल किया। इसके अलावा, सुरक्षित गर्भसमापन पर आई.ई.सी सामग्री (हैंड-आउट और पैम्फलेट) तीन भाषाओं में बनाए गए थे, अर्थात अंग्रेजी, हिंदी और पंजाबी, और इनका वितरण गर्भसमापन सुविधा केंद्रों में हुआ था।

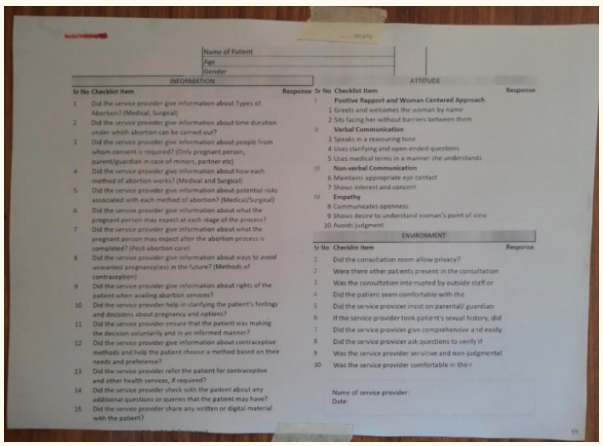

महाराष्ट्र के पुणे में गर्भसमापन सेवा प्रदाताओं को व्यापक जानकारी देने में सहायता प्रदान करने के लिए एक सामान्य जांचसूची बनाई गई थी। जांचसूची को 7 अधिकृत गर्भसमापन सुविधा केंद्रों में वितरित किया गया था, जिनमें से 4 सुविधा केंद्रों में नियमित रूप से इसके उपयोग की सूचना दी गई, और 3 सुविधा केंद्रों में रोगियों की संख्या के आधार पर कभी-कभी इसका उपयोग किया गया था। सेवा प्रदाताओं ने बताया है कि जांचसूची उनके दृष्टिकोण, जिस वातावरण में जानकारी प्रदान की जा रही है, और स्वयं जानकारी का मानचित्र बनाने में उपयोगी रही है।

अनुपूरक पठन सामग्री

Mitigating abortion stigma	1. ABORTION STIGMA ENDS HERE: A guide for understanding and action by IPAS (2018) 2. Abort the Stigma guide by CREA (2020) 3. How to talk about abortion: A guide to rights-based messaging by IPPF (2015)
Policy engagement	1. The full story: Advocating for comprehensive sexuality education that includes abortion by IPAS (2020) 2. An Advocate's Guide to Rights-Based Safe Abortion Policies, Programmes and Services by ARROW (2021) 3. Youth Activist guide by Advocates for Youth (2019) 4. Contraception Advocacy guide by The YP Foundation (2020)
Medical and legal aspects of abortion in India	1. Access to safe & legal abortion: A handbook on abortion laws for Healthcare service providers in India by CJLS, Jindal Global Law School. 2. Legal Barriers to Accessing Safe Abortion Services in India: A Fact Finding Study by NLSIU, Bangalore (2021) 3. The POCSO Act & adolescents' access to abortion in India by CJLS, Jindal Global Law School

the yp foundation

feminist · intersectional · rights-based